(68)

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त,
   गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 नवम्बर, 2011

विषय–वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 20,000 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज 10,000 है0 नॉन जेड0ए0 भूमि को वैज्ञानिक प्रबंधन की दृष्टि से वन विभाग के प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण में दिए जाने हेतु शासनादेश सं0–यू0ओ0–06/18(1)/2009 दि0–9.1.2009 द्वारा निर्णय लिया गया था। तत्क्रम में शासनादेश सं0–881/18(2)/2009 दि0–1.4.2009 एवं 759(1)/18(2)/2009 दि0–20.3.2009 द्वारा लगभग 10,000 है0 भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तांतरित किया गया था।

2. वर्तमान में वन विभाग की अधिसूचना सं0–866/X–3–2011/8(21)/2010 दि0–28.9.2011 एवं शासनादेश सं0–883/X–3–2011/8(21)/2010 दि0–4.10.2011 द्वारा अधिसूचना दि0–17.10.1883 को विखण्डित करते हुए पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के शासनादेश दि0–17.3.1997 को भी संशोधित किया गया है जिसके अनुसार वर्तमान में जो भूमि शब्दकोष के अनुसार वन नहीं है, सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है एवं मौके पर वन स्वरूप नहीं है, उस पर वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होंगे। इस प्रकार अब गैर जमींदारी विनाश भूमि की विभिन्न श्रेणियों [9(3)क एवं 9(3)ख को छोड़कर] की भूमि यदि मौके पर वन स्वरूप नहीं है, तो वह रक्षित वन के स्तर की नहीं मानी जाएगी एवं अब वह वन भूमि नहीं है।

3. इस प्रकार पूर्व में उपरोक्त शासनादेशों द्वारा लगभग 10,000 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित भूमि की प्रास्थिति बदल चुकी है। अतः अब शासन द्वारा इस गैर वन भूमि में से 20,000 है0 भूमि, पूर्व की वन भूमि हस्तांतरण के मामलों, वर्तमान में चल रही लम्बित परियोजनाओं एवं आगामी वर्षों में संभावित परियोजनाओं के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के उपयोगार्थ वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। वन भूमि हस्तांतरण

.............2

के मामलों में अब उतनी ही भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि, योजनाओं के लिए प्राप्त की जाएगी। भूमि हस्तांतरण की आवश्यकता जिस प्रकार होगी, उसी के अनुरूप समय–समय पर वन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी।

4. भूमि का चिन्हिकरण जिला स्तर पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से समन्वय कर किया जाएगा। वर्तमान तक जितनी भूमि की एकमुश्त आवश्यकता होगी, उसका विवरण वन विभाग से प्राप्त कर जिलावार चिन्हित कर वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित कर दी जाएगी। अवशेष भूमि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संरक्षित रखी जाएगी एवं यथा आवश्यक वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की जाएगी।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार इस विषय में अपने स्तर पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0-2382(i)/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तांतरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।